



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- भरतपुर में भू-अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर) 3 हजार 500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 09 नवम्बर, बुधवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर भरतपुर एस.यू. इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये सुरेन्द्र कुमार धाकड़ भू-अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर) हल्का मिलकपुर, तहसील बयाना, जिला भरतपुर को परिवादी से 3 हजार 500 रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की भरतपुर एस.यू. इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके पिताजी द्वारा क्रयशुदा जमीन का दाखिला खारिज करने एवं नामान्तकरण खोलने की एवज में सुरेन्द्र कुमार धाकड़ भू-अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर) हल्का मिलकपुर, तहसील बयाना, जिला भरतपुर द्वारा 3 हजार 500 रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत के सुपरवीजन में एसीबी भरतपुर एस.यू. इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेश मीणा के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा में ट्रेप कार्यवाही करते हुये सुरेन्द्र कुमार धाकड़ पुत्र श्री रेवती प्रसाद निवासी बिचपुरी पट्टी, तहसील वैर जिला भरतपुर हाल निवासी लालबाग कॉलोनी, बयाना, भरतपुर हाल भू-अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर) हल्का मिलकपुर, तहसील बयाना, जिला भरतपुर को परिवादी से 3 हजार 500 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री हेमन्त प्रियदर्शी के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।